न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल मध्यप्रदेश

निगरानी 1712-PBR-15

निगरानी प्रकरण कमांक ..../2014–15

श्रीमती ओलगा पत्नि रेजिनल्ड विलियम
आयु लगभग 70 वर्ष
निवासी– कमांक–10/1 अंजलि काम्पलेक्स तुलसी नगर
भोपाल तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्यप्रदेश — — निगरानीकर्ता

श्री वी.एन मिश्रा अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 24-6-15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 24-6-15 26-6-15

विरूध्द

1. मोहन लाल राठौर आत्मज स्व0 श्री कालूराम राठौर
आयु वयस्क
निवासी ग्राम पाढर बुजुर्ग तहसील घोडा डोंगरी
जिला बैतूल मध्यप्रदेश
2. संजय लाहोरिया आत्मज शीलचन्द लाहोरिया
आयु वयस्क,
निवासी ग्राम पाढर बुजुर्ग तहसील घोडा डोंगरी
जिला बैतूल मध्यप्रदेश — — उत्तरवादीगण

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

महोदय,

निगरानीकर्ता माननीय न्यायालय तहसील घोडा डोगरी के प्रकरण कमांक 113/अ–6/12–13 पारित आदेश दिनांक 09/06/2015 से दुखित एवं परिवेदित होकर कपटपूर्वक संव्यवहार पर प्रस्तुत आपत्ति को स्वीकार ना कर निरस्त करते हुए अंतरिम आदेश पारित किये है जिस आदेश के विरूध्द यह निगरानी निम्न तथ्यों व आधारो पर समय सीमा में न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1712—पीबीआर / 15 जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29—12—2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 9—6—15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति इस निष्कर्ष के साथ निरस्त की गई है कि आवेदक के आम मुख्तयार द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 मोहनलाल के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को आवेदक द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है, और न ही अनावेदक क्रमांक 1 के पक्ष में पारित नामांतरण आदेश पर कोई स्थगन ही प्रस्तुत किया गया है । यदि छलकपटपूर्वक संव्यवहार हुआ है, तब इसके निराकरण का अधिकार व्यवहार न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नहीं, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष सत्य प्रतिलिपि अवर सचिव राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर	